अनुभाग 2973 1/14

कार्यालय अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

क्र.जे.पी.डी./ अध्यक्ष डिस्कॉम्स / अधी.अभि.(आर.ई.) / अधि.अभि.(II) / प. / प्र. 821 दि. 28/9/18

आदेश

वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट घोषणा अनुरूप लक्षित 2,00,000 कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में नये कृषि कनेक्शनो को समय से जारी करने की प्रक्रिया में यह ध्यान में लाया गया है कि फील्ड में कई बार अपरिहार्य कारणों से 25 केवीए क्षमता डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मरस समय से उपलब्ध नही हो पाते है। जिसके कारण अन्य वरीयता वाले कनेक्शनों को जारी करने में विलम्ब हो रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में लम्बित कृषि कनेक्शनों को आगामी रबी सीजन से पूर्व समय से जारी करने के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कृषि आवेदक जिनके मांग पत्र जमा है व कृषि कनेक्शन नीति–2017 में निर्धारित वरीयता क्रम में उन्हे कनेक्शन जारी करना है तो ऐसे आवेदकों का कनेक्शन वरीयता क्रम में 25 केवीए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर की अनुपलब्धता के कारण नहीं रोका जावे। यानि ऐसे आवेदक जिन्हें 10/16 केवीए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मरस की आवश्यकता है लेकिन उनकी वरीयता के मध्य अन्य आवेदकों को 25 केवीए ट्रान्सफार्मरस की भी आवश्यकता है तो ऐसे आवेदकों को 25 केवीए ट्रान्सफार्मरस की अनुपलब्धता में वरीयता लांग कर कनेक्शन जारी किया जावे। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018–19 में जारी किये जाने वाले कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी।

(आर.जी. गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN:U40109RJ2000SGC016486
पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
Website.www.jaipurdiscom.com
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)
पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर
(फोन नं. 0141–2200334, फैक्स नं. 0141– 2202241)
E-Mail : sere@jvvnl.org

क्र. जे.पी.डी. / अति.मु.अ.(पी.पी.एम) / अधी.अभि.(आर.ई.) / अधि.अभि.(II) / प. / प्र. 817 दि. 27/09/18

स्पष्टीकरण

वर्तमान मे सौर ऊर्जा चलित पम्प सैट योजना का क्रियान्वन विद्युत वितरण निगमो के स्थान पर उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है अतः ऐसे आवेदक जो विद्युत वितरण निगमों में 3 एचपी/5 एचपी के कृषि कनेक्शन के लिए सामान्य श्रेणी मे पंजीकृत थे व विद्युत निगमों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 मे संचालित सोलर पम्प कृषि कनेक्शन मे पंजीकरण हेतु ली जाने वाली राशि रूपये 1000/– जमा कराकर इस योजना में आवदेन किया था। लेकिन अब आवेदक द्वारा किसी अन्य कारण से अथवा आवेदक द्वारा उद्यानिकी विभाग सें सोलर पम्प सैट कनेक्शन स्थापित करवाने पर निगम में सामान्य श्रेणी पंजीकृत मुल पत्रावली को निरस्त करवाने पर आवेदक को निगम मे जमा अग्रिम राशि के अनुरूप ही सौर उर्जा पम्प सैट योजना मे पंजीकरण हेतु ली गई राशि रूपये 1000/– आवेदक को देय है।

यह आदेश तीनों विद्युत वितरण निगमों पर लागू होगा।

27/9/18
(वी.डी. बसल)
अति. मुख्य अभियंता (पी.पी.एम.)

अविविनिलि / अ.अ.(योजना) / अधि.अभि(योजना) / अज. / 2018–19 प्रे. 3442 दि. 23-10-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. / मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय / एम.एम. / ट्रेनिंग एव सुरक्षा सीएसएस / पवस) अ.वि.वि.नि. लि., अजमेर / उदयपुर / झुन्झुंनू
2. मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर / ई बी टी. / आई.ए.–डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
3. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम. / टी.डबल्यू. / एम.एण्ड.पी / वाणिज्य / डी.डी.यू.जी.जे.वाय. / सर्तकता), अविविनिलि अजमेर ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपार्टल पर अपलोड करने हेतु ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (पवस) / ए.सी.सी. / ए.डी.सी. / भीलवाडा / नागौर / झुंझुनू / सीकर / बांसवाडा / डूंगरपुर / चितौड़गढ / प्रतापगढ / राजसमन्द / उदयपुर ।
8. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. प्रावैधिक सहायक–माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
10. प्रावेधिक- सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
11. प्रावेधिक–सहायक, निदेशक (तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिवेन्सेज / लीगल), अविविनिलि, अजमेर
13. अधिशाषी अभियन्ता (........................) अविविनिलि,................................
14. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
15. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16. निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविविनिलि, अजमेर
17. प्रबन्धक, टी.पी.ए.डी.एल, डिस्ट्रीब्यूशन फेचाईजी (अजमेर सिटी) वैशाली नगर, अजमेर।

(वी.पी. सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

अविविनिलि/अ.अ.(योजना)/अधि.अभि(योजना)/अज./2018–19 प्रे. 3443 दि. 23/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एव सुरक्षा सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुन्झुनू
2 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर/ई बी टी./ आई.ए.–डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
3 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डबल्यू/एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सर्तकता), अविविनिलि अजमेर ।
6 अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपार्टल पर अपलोड करने हेतु ।
7 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौडगढ /प्रतापगढ/राजसमन्द/उदयपुर ।
8 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9 प्रावैधिक सहायक–माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
10 प्रावेधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
11 प्रावेधिक–सहायक, निदेशक (तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12 अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिवेन्सेज/लीगल), अविविनिलि, अजमेर
13 अधिशाषी अभियन्ता (......................) अविविनिलि,..............................
14 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
15 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविविनिलि, अजमेर
17 प्रबन्धक–टी.पी.ए.डी.एल, डिस्ट्रीब्यूशन फेचाईजी (अजमेर सिटी) वैशाली नगर, अजमेर।

(वी.पी. सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर